कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय।

पत्रांक:आर– 6 /जे0डी0/लखनऊ–15(जीएन)/ 578 दिनांक: 4-11- ,2015

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद एवं नियोजक,
नौएडा प्राधिकरण सेक्टर–6
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषय: **मैसर्स सनवर्ल्ड रेजीडेन्सी प्रा0 लि0, प्लाट न0–जी0एच0–01/सी, सेक्टर–168 नोएडा गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन (टावर–7व 8 एवं 9) निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

यूआईडी: 2015/15449/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/3522/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध अधोहस्ताक्षरी से किया गया है।

प्रस्तावित भवन के मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी एक्सप्रेस–वे नौएडा से कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक: 29–10–2015 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, पत्रावली का संसगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचना:–

प्लाट एरिया–40221.00 वर्ग मी0 जिसमे प्रस्तावित टावरो की प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या: भ–6/सीएफओ/जीबीएन–12 (1) दिनांक: फरवरी 2012 के माध्यम से निर्गत की गयी वर्तमान मे 03 टावरो की ऊँचाई मे विस्तार किया गया है विवरण निम्नवत है:–

कमांक	नाम टावर	तलों की संख्या		भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0		ऊँचाई मी0 मे	
		पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान
1	टावर–7 एवं 8	02बी+जी+19	02बी+जी+25	1227.59	590.141	61.00	78.70
2	टावर–9	02बी+जी+01	02बी+जी+31	1607.07	1053.174	07.00	99.70
3	बेसमेन्ट–1 व 2			35522.4 प्रत्येक	35520.00 प्रत्येक		

भवन का अधिभोग विवरण:–प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:–

1– **पहुच मार्ग**:– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई मानको के अनुसार 45मीटर अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2– **सैटबेक**:– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग–25.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबक विनियमावली 2006 के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है। बेसमेन्ट की छत 45 टन भार क्षमता की निर्मित करायी जानी अनिवार्य होगी।

3– **निकास मार्ग**:– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है प्रत्येक स्टेयर की चौडाई 1.5 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4– **रिफ्यूज एरिया**:– भवन मे प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगत:–प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

(बी0 के0 राव)
संयुक्त निदेशक फा0 स0
उ0 प्र0 लखनऊ

2–पम्पसः– प्रश्नगत भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

3–टेरिस टैंकः–प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–होजरीलः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टसः– प्रस्तावित भवन मे रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– प्रश्नगत समस्त भवनों के समस्त तलो पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेक्शनः– प्रश्नगत भवन मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–कम्पार्टमेन्टेशनः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी / स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

16–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

17–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुयें जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स सनवर्ल्ड रेजीडेन्सी प्रा0 लि0, प्लाट न0–जी0एच0–01 / सी, सेक्टर–168 नोंएडा गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन (टावर–7व 8 एवं 9) निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन / इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण / परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(पी0के0 राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

(पी0 के0 राव)
संयुक्त निदेशक फा0 स0
उ0 प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
3–अग्निशमन अधिकारी एक्सप्रेस–वे नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–मैसर्स सनवर्ल्ड रेजीडेन्सी प्रा0 लि0, प्लाट न0–जी0एच0–01 / सी, सेक्टर–168 नोएडा गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।